न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/152 **दायरा दिनांक : 13.09.2022**

उनवान

1– उदा पुत्र नन्दा, आयु 60 वर्ष, जाति बलाई, निवासी बर्डिया बीरजी
2– भग्गा पुत्र नन्दा आयु 50 वर्ष, जाति बलाई, निवासी बर्डिया बीरजी
तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ .... अपीलांट

बनाम

1– गणेश पुत्र नन्दा आयु 48 वर्ष, जाति बलाई, निवासी बर्डिया बीरजी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2022/153 **दायरा दिनांक : 13.09.2022**

उनवान

1– उदा पुत्र नन्दा, आयु 60 वर्ष, जाति बलाई, निवासी बर्डिया बीरजी
2– भग्गा पुत्र नन्दा आयु 50 वर्ष, जाति बलाई, निवासी बर्डिया बीरजी
तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ .... अपीलांट

बनाम

1– गणेश पुत्र नन्दा आयु 48 वर्ष, जाति बलाई, निवासी बर्डिया बीरजी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बी.एस.भटनागर व श्री महेश माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 22.12.2023**

1 ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2 ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या–122/दावा/2021 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.02.2022 तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 का निर्णय दिनांक 17.08.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

3 दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बर्डिया बिरजी, पटवार हल्का बर्डिया बिरजी, तहसील गंगधार जमाबंदी संख्या 27 व जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 1.8337 हेक्टर, तथा खसरा नम्बर 239 रकबा 0.1138 हेक्टर कुल 1.9475 हेक्टर के बंटवारे हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.02.2022 से वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी ग्राम बर्डिया बीरजी के खाता संख्या 27 के खसरा नम्बर 238 रकबा 1.8337 हेक्टर उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर वादी उसके बाद प्रतिवादी भग्गा व उसके पश्चात प्रतिवादी उदा पश्चिम दिशा की ओर एवं खसरा नम्बर 239 रकबा 0.1138 हेक्टर उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर वादी उसके बाद भग्गा प्रतिवादी एवं पश्चिम दिशा की ओर प्रतिवादी उदा को जमाबंदी में हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा किये जाने के आदेश दिये। बैंक के रहन शुदा भूमि वादी व प्रतिवादीगण के यथावत रहेगी। तहसीलदार गंगधार से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु लिखा जावे।

4 दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 नियम 13 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.08.2022 से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

5 अपील संख्या 2022/152 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का एक तरफा प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट्स (प्रतिवादीगण 1 व 2) के विरुद्ध गलत तथ्यों एवं अभिवचनों के आधार पर एक तरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय धारा 53 आर. टी. एक्ट पारित की है, जो विधि के विरूद्ध होने के कारण उक्त एक तरफा डिक्री व निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम बर्डिया बीरजी, पटवार हल्का बर्डिया बीरजी, तहसील गंगधार की जमाबन्दी संख्या 27 में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 238 की 1.8337 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 239 की 0.1138 हेक्टर कुल 2 किता की 1.9475 हेक्टर आराजी स्थित है। अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रेषित किये गये किसी भी सम्मन की विधिवत इत्तला सी. पी. सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं करवायी गयी है। अपीलान्ट्स उदा अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति है जो दिनांक 22.02.2022 को अचानक बीमार हो गया और अपीलान्ट नम्बर 2 इलाज हेतु उसे अपने साथ ले गया था और इलाज में काफी समय लगने के कारण न्यायालय का समय निकल जाने से हाजिर होने में असमर्थ रहा, इसके कारण उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हो गई। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अत्यधिक जल्दबाजी करते हुए दिनांक 21.02.2022 को एक तरफा कार्यवाही करके दिनांक 22.02.2022 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से शपथ पत्र लेकर तथा दस्तावेजात को प्रदर्श करवाये बिना ही अपने अधिकारों से परे जाकर एक तरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित कर दिया है, जो हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 गणेश वादी को विवादित आराजी ग्राम बर्डिया बीरजी की खसरा नम्बर 238 की 1.8337 हेक्टर आम रोड़ की उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा की एवं उसके बाद अपीलान्ट नम्बर 2 भग्गा एवं अपीलान्ट नम्बर 1 उदा को पश्चिम दिशा की और एवं खसरा नम्बर 239 रकबा 0.1138 हेक्टर में उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा की और रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादी उसके बाद भग्गा अपीलान्ट नम्बर 2 एवं पश्चिम दिशा की अपीलान्ट नम्बर 1 उदा को जमाबन्दी में हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा करने के आदेश दिये गये है। यहां पर यह लिखना उचित होगा कि अधीनस्थ न्यायालय को अपनी मनमर्जी से बंटवारा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्राथमिक डिक्री व निर्णय में केवल मात्र पक्षकारों के हिस्से तय होते हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर प्रत्येक पक्षकार को उसके हिस्से अनुसार मेन रोड़ की साइड से आराजी को विभाजित करना चाहिये था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को मेन रोड़ की जमीन खसरा नम्बर 238 एवं 239 में से देकर गलत तौर पर एक तरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया है, जो कानूनन हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का एक तरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय को निरस्त फरमाया जाकर उक्त पत्रावली को अपीलान्टस (प्रतिवादीगण 1 व 2 को) जवाब साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार को प्रेषित (रिमान्ड) फरमाई जाये।

6 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.08.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

7 अपील संख्या 2022/153 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 सी.पी.सी. को अपने अधिकारों से परे जाकर गलत तौर पर खारिज करके कानूनी त्रुटि की है। ग्राम बर्डिया बीरजी, पटवार हल्का बर्डिया बीरजी, तहसील गंगधार की जमाबन्दी संख्या 27 में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 238 की 1.6337 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 239 की 0.1138 हेक्टर कुल 2 किता की 1.9475 हेक्टर आराजी स्थित है। अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रेषित किये गये किसी भी सम्मन की विधिवत इत्तला सी.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं करवायी गयी है। अपीलान्ट्स उदा अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति है जो दिनांक 22.02.2022 को अचानक बीमार हो गया और अपीलान्ट नम्बर 2 इलाज हेतु उसे अपने साथ ले गया था और इलाज में काफी समय लगने के कारण न्यायालय का समय निकल जाने से हाजिर होने में असमर्थ रहा इसके कारण उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही हो गई। जिसे न्यायहित में अपीलान्टस को उचित निर्णय देने हेतु निरस्त करना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं करके अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलान्ट्स का आर्डर 9 नियम 13 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र में उचित कारण होते हुए भी प्रार्थना पत्र को खारिज करके कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.08.2022 को निरस्त फरमाया जावे, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने ये अपील पेश की।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8 अपील संख्या 2022/152 प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एवं अपील संख्या 2022/153 दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

9 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 1976 पेज 1 से 3 व आर.बी.जे. 2022 पेज 465 से 471 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

10 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अपील संख्या 2022/152 के अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

11 बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत् अपील, न्यायिक दृष्टान्तों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आधोपान अवलोकन किया गया।

12 पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वादी रेस्पोडेंट द्वारा एक वाद विरूद प्रतीवादी/अपीलांट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 की धारा – 53 के तहत प्रस्तुत किया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय दवारा प्रतिवादी अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादी रेस्पो. का वाद स्वीकार कर वादी रेस्पो दवारा प्रस्तुत वादपत्र, जमाबन्दी एवं नजरी नक्शे के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम बर्डियावीरजी के खाता संख्या 27 के खसरा नम्बर 238 रकबा 1.8337 हेक्टेयर उत्तर से दक्षिण पूर्व, –दिशा की ओर वादी उसके बाद प्रतिवादी भग्गा उसके पश्चात प्रतिवादी उदा पश्चिम दिशा की ओर एवं खसरा नं0 239 रकबा 0.1138 हेक्टेयर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर वादी उसके बाद भग्गा प्रतिवादी एवं पश्चिम दिशा की ओर प्रतिवादी उदा को जमाबंदी में हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है इस आशय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दि. 22–02–2022 को जारी करते हुए तहसीलदार गंगधार से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु आदेशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्राथमिक डिक्री के क्रम में प्रतिवादी अपीलांट का यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपनी मनमर्जी से बंटवारा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्राथमिक डिक्री व निर्णय में केवल मात्र पक्षकारों के हिस्से तय होते है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर रेस्पो. नम्बर 1 को मैन रोड की जमीन खसरा नम्बर 238 व 239 में से देकर गलत तौर पर एक तरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया है, जो कानूनन हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है। इस क्रम में प्राथमिक डिक्री व निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर बटवारे के इस वाद में सीधे ही अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22–02–2022 के माध्यम से सहखातेदारों के हिस्से का निर्धारण करने के स्थान पर बिना बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किये ही सहखातेदारों के मध्य विवादित आराजी का बटवारा कर दिया जो वैधानिक नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि. 01–12–2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश जारी करते हुए समन नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात् दि. 21–02–2022 को प्रतिवादी अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश देते हुए दूसरे ही दिन दि. 22–02–2022 को पत्तावली साक्ष्य वादी में रखी गई। दि. 22–02–22 को पुनः पत्रावली पेश हुई वादी वकील द्वारा साक्ष्य के रूव में केवल वादी का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी दिन दि. 22–02–22 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसमें सीधे ही सहखातेदारों के मध्य जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवारा करते हुए तहसीलदार गंगधार से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु लिखा गया। विचाराधीन बंटवारे के इस प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को साक्ष्य वादी में स्वयं वादी के शपथ पत्र के अलावा अन्य स्वतंत्र गवाओं के माध्यम से भी वादी के कथन की पुष्टि करनी चाहिए थी या न्यायहित में प्रतिवादीगणों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए था । प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि. 22–02–2022 को जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियत आगामी दि 23–03–2023 को अपने अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय में उपस्थिति दर्ज करते हुए

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–9, नियम –13 के तहत एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। यह प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि. 17–08–22 को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी अपीलांट वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड थे ऐसी स्थिति में उन्हें न्यायहित में सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। वादी रेस्पो0 द्वारा वाद पत्र में अंकित अपने कथनों की पुष्टि हेतु जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये उन पर प्रदर्श भी अंकित नहीं किये गये। बिना प्रदर्श अंकित किये दस्तावेजों को साक्ष्य में पढ़ा नहीं जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत बंटवारे के इस प्रकरण में सहखातेदारों के मध्य लगभग 40–45 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से किये गये बंटवारे व कब्जे के आधार पर भूमि विभाजन करने का बिन्दू निहित है। जिसे तनकीयात कायम कर विस्तृत विवेचन व साक्ष्य के द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डरशीट के अनुसार दि. 21–02–2022 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के पश्चात दूसरे ही दिन दि. 22–02–2022 को साक्ष्य वादी में केवल वादी का शपथ पत्र शा. फा. करते हुए स्वतंत्र गवाहों के माध्यम से वादी के कथनों की पुष्टि कराये बिना ही उसी दिन निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए जमाबंदी व कब्जे के अनुसार सीधे ही बटवारा करने का निर्णय पारित करना वैधानिक रूप से सही नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दि0 22–02–2022 में खारिज की जाती है।

13 प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने विरुद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश –9 नियम–13 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दि. 17–08–2022 से खारिज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट द्वारा राज0 काश्तकारी अधीनियम 1955 की धारा–225 के तहत अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रेषित किये गये किसी भी समन की विधिवत इतला सी. पी.सी. के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं करवायी गई है। इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सम्मन का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रतिवादी कम 1 व 2 दोनों के सम्मन नोटिस पर तामिलकर्ता द्वारा यह सील अंकित की गई कि सम्मन की एक प्रति प्रतिवादी के खुले मकान पर चस्पा की गई तामिल रिपोर्ट श्रीमान को सेवा में पेश हैं जिस पर तामिलकुलिंदा एवं दो गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है, परंतु गवाहों के नाम व पते का अंकन नहीं किया गया है। इसी प्रकार यह रिपोर्ट अंकित नहीं की गई है कि तामिल प्रतिवादी कम 1 व 2 पर क्यों नहीं हो सकी ? और किन परिस्थितियों में मकान पर चस्पा की गयी। सी पी सी के आदेश–5 नियम–17 के तहत यदि सम्मन की तामील स्वंय प्रतिवादीगण पर नहीं करके उसके मकान पर चस्पा की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में तामील कुलिंदा मकान के बाहरी द्वार पर या अन्य किसी सदृश्य भाग पर सम्मन की एक प्रति चस्पा करेगा और मूल प्रति ऐसी रिपोर्ट के साथ जिससें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें उसने ऐसा किया कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) नाम व पता अंकित होगा जिसने मकान को पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में मकान पर प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लोटायेगा जिसने सम्मन जारी किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सम्मनों के अवलोकन से सी पी सी के ऑडर 5 नियम 17 की पालना नहीं होना पाया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑडर 9 नियम 13 के सन्दर्भ में पारित आदेश दिनांक 17.08.22 न्यायहित में खारिज किया जाता है।

14 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.02.2022 व आदेश दिनांक 17.08.2022 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समूचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.02.2024 को उपस्थित होवें ।

15 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/12/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा